उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(चिकित्सा अनुभाग–6)

संख्या–365 / 2016 / 3124 / पॉच–6–2016–19जी / 16

लखनऊ, दिनांकः 27 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 3 में –

(1) विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

(ग–1) "सी.जी.एच.एस." का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से है ;

(ग–2) "आकस्मिक / अप्रत्याशित रोग" का तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो कि परिशिष्ट 'ड.' में उल्लिखित हैं ;

(2) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (झ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ 1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(झ) (एक) 'सरकारी चिकित्सालय' का तात्पर्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे या किसी सरकारी चिकित्सालय महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है,	(एक) (क) "सरकारी चिकित्सालय" का तात्पर्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे या किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है।
(झ) (दो) प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों' का तात्पर्य ऐसे निजी चिकित्सालयों से है, जिनसे सी.जी.एच.एस. (केन्द्रीयित सरकारी स्वास्थ्य सेवायें) की दरों के सम मूल्य पर उपचार उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा संविदा की गई है।	(ख) "प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों" का तात्पर्य ऐसे निजी चिकित्सालयों से है जो कि राज्य सरकार द्वारा सी. जी.एच.एस. योजना के अधीन अधिसूचित किये जांय ;

(3) विद्यमान खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ दिया जायेगा, अर्थात्:–

(ञ–1) "स्वास्थ्य कार्ड" का तात्पर्य लाभार्थी की पहचान की पुष्टि के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये कार्ड से है और जो कि स्वास्थ्य पत्र से भिन्न हो ;

(4) विद्यमान खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढा दिया जायेगा, अर्थात्:–

(ट–1) "असाध्य रोग" का तात्पर्य परिशिष्ट 'च' में उल्लिखित रोगों से है ;

नियम 6 का प्रतिस्थापन — 3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

	स्तम्भ 1 विद्यमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
स्वास्थ्य पत्र और हेल्थ कार्ड द्वारा पहचान	6.(क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट–क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य–पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मोहर आंशिक रूप से लगी हो : परन्तु किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पदनाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार होगा, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा। सरकार भविष्य में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के स्थान पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) चरणबद्ध रूप से जारी कर सकती है।	स्वास्थ्य पत्र और हेल्थ कार्ड द्वारा पहचान	6.(क) किसी लाभार्थी को किसी सरकारी चिकित्सालय या सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब वह स्वास्थ्य कार्ड या परिशिष्ट–'क' में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत स्वास्थ्य कार्ड अथवा किसी संख्यांकित स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा/करेगी। स्वास्थ्य पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि वह फोटो और पत्र को आंशिक रूप से आच्छादित करे : परन्तु यह कि किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पदनाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार होगा, किन्तु स्वास्थ्य पत्र उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने या निवास करने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।
	(ख) स्वास्थ्य पत्र में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य बना देगा। तथापि, यदि परिवार के		(ख) कार्ड में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य बना देगा। तथापि, यदि परिवार के किन्हीं सदस्यों के बारे में

किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई विवरण छूटा हो तो केवल वही सदस्य अपात्र होंगे और वह पत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा।	कोई विवरण छूटा हो तो केवल वही सदस्य अपात्र होंगे और वह पत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा। (ग) लाभार्थियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में आकस्मिक/ अप्रत्याशित रोगों के निःशुल्क चिकित्सा उपचार एवं सी.जी.एस.एस. दर पर असाध्य रोगों का चिकित्सा उपचार प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य कार्ड प्रस्तुत करें।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

	स्तम्भ 1 विद्यमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
एस.जी.पी.जी. आई./के जी. एम.यू. /सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में उपचार	10–कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के.जी. एम.यू. लखनऊ और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में संदर्भ के साथ भुगतान के प्रति उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विहित नियमावली के अधीन चिकित्सकीय देख–रेख या उपचार पर उपगत व्यय हेतु दावा प्रस्तुत किये जाने पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।	**संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान/ किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय /सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और सी.जी. एच.एस. निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा उपचार**	10. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ और ऐसे अन्य समान सरकारी पोषित संस्थानों में उपचार प्राप्त करने पर, यदि लाभार्थी उक्त संस्थानों के चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित /सत्यापित बीजकों की कुल धनराशि की पाँच प्रतिशत धनराशि को वहन करने में सहमत हो, तो ऐसी स्थिति में उपर्युक्त बीजकों को शेष पंचानबे प्रतिशत धनराशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा और ऐसे बीजकों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने से छूट प्रदान की जायेगी। यदि लाभार्थी बीजकों की पाँच प्रतिशत धनराशि वहन करने में असहमत हो, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बीजकों को सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के पश्चात् ही उक्त संस्थानों के चिकित्सा बीजकों का भुगतान पूर्वतर नीति के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में संदर्भ के साथ भुगतान के प्रति उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विहित नियमावली के अधीन चिकित्सकीय देख–रेख या उपचार पर उपगत व्यय हेतु दावा प्रस्तुत किये जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिपूर्णीय होगा। अंतःरोगी को प्राधिकृत सविदाकृत चिकित्सालयों में असाध्य रोगों के सी.जी.एच.एस. दर पर निःशुल्क चिकित्सा उपचार और आकस्मिक /अप्रत्याशित रोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जायेगा।

नियम 11 का प्रतिस्थापन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 11 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
तात्कालिक / आपातकालीन उपचार 11— किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक / आपात स्थिति में या यात्रा पर किसी निजी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान या राज्य से बाहर उपचार की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी और प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार कराने की दशा में उपचार की लागत सी.जी.एच.एस. की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है कि :— (क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाय। (ख) रोगी या उसके सम्बन्धी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय। (ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।	तात्कालिक / आपातकालीन उपचार 11. किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक / आपात स्थिति में या यात्रा पर किसी निजी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। अंतःरोगी का उपचार आपात स्थिति में सी.जी.एच.एस. योजना के अधीन सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क होगा। प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार प्राप्त करने के अलावा, यदि उपचार, राज्य के अन्य निजी चिकित्सालयों में कराया जाता है, तो उपचार का शुल्क, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में यथाप्रचलित दर पर प्रतिपूर्णीय होगा और यदि रोग के उपचार की दर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध नहीं है तो प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रचलित दरों पर की जायेगी। यदि उपचार प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों से भिन्न राज्य के बाहर निजी चिकित्सालयों में कराया जाता है तो उपचार की दर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रचलित दर पर प्रतिपूर्णीय होगी। प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार होने की दशा में, उपचार की दर सी0जी0एच0एस0 की दरों पर प्रतिपूर्णीय होगी परन्तु : (क) उपचारी चिकित्सक तात्कालिक / आपातकालिक दशा प्रमाणित करे। (ख) रोगी या उसके सम्बन्धी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को यथासंभव शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर सूचित कर दिया जायेगा। (ग) आपात स्थिति की दशा में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाला व्यय भी प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य होगा।

नियम 15 का संशोधन

6. उक्त नियमावली में, नियम 15 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खण्डों (क) और (ग) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ 1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
15–(क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, प्राक्कलित धनराशि के पचहत्तर प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।	(क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, प्राक्कलित धनराशि के पंचानबे प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।
(ग) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय।	(ग–1) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय और असाध्य या आकस्मिक या अप्रत्याशित रोगों के उपचार से सम्बन्धित मामलों में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों सहित प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों से सी0जी0एच0एस0 दरों पर प्राक्कलित प्राप्ति के पंचानबे प्रतिशत एक सप्ताह के भीतर चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जायेगा और सम्बन्धित कर्मचारी या पेंशनभोगी के बचत खाते में जमा किया जायेगा। (ग–2) उपचार के पूर्ण होने के दिनांक के पश्चात् सम्बन्धित कर्मचारी तीन महीनों के भीतर अपने चिकित्सा अग्रिम की धनराशि को अनिवार्य रूप से समायोजित करवायेगा। (ग–3) कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए यथास्वीकृत अग्रिम के समायोजन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से सरकार द्वारा पृथक् रूप से निर्धारित की जायेगी।

परिशिष्ट–'क' का संशोधन

7. उक्त नियमावली में, परिशिष्ट–'क' में, शीर्षक में, विद्यमान शब्द "स्वास्थ्य कार्ड", के स्थान पर शब्द "स्वास्थ्य पत्र" रख दिये जायेंगे।

नई परिशिष्टियों का बढ़ाया जाना

8. उक्त नियमावली में, विद्यमान परिशिष्ट 'घ' के पश्चात् निम्नलिखित नई परिशिष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

परिशिष्ट – 'ड.'

[नियम 3 (ग–2) देखिये]

आकस्मिक/अप्रत्याशित रोगों की सूची नीचे दी गयी है, किन्तु यह पूर्ण नहीं है क्योंकि आकस्मिक/अप्रत्याशित रोगी की दशा पर निर्भर करती है :–

(1) एक्यूट कोरोनरी सिन्ड्रोम (कोरोनरी आरट्री बाइ–पास ग्राफ्ट/परक्यूटेनियस ट्रान्सल्यूमिनस कोरोनरी एन्जियोप्लास्टी) मायोकार्डियल इन्फार्कशन, अनस्टेबल इन्जाइना, वेन्ट्रीक्यूलर, एरिदमियॉ, पी ए टी, कार्डियक टैम्पोनाड, एक्यूट लेफ्ट वेन्ट्रिक्यूलर फेल्योर (ए एल वी एफ), सिवीयर कन्जेस्टिव कार्डियक फेल्योर (एस सी सी एफ), एक्सलरेटेड हाइपरटेन्शन, कम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, स्टोक्स एडम अटैक, एक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन।

(2) एक्यूट लिंब इस्चीमिया, रप्चर ऑफ एन्यूरिस्म मेडिकल तथा सर्जिकल शॉक, पेरिफेरल सरकुलेटरी फेल्योर।

(3) सेरिबोवैस्कुलर अटैक, स्ट्रोक, सडेन अन–कान्शसनेस, हेड इन्जरी, रेस्पीरेटरी फेल्योर, डिकम्सेटेड लंग डिसीस, सेरिब्रो मेनिन्जीयल इन्फेक्शन, कन्फेक्शन, कन्वलशन, एक्यूट पैरेलिसिस, एक्यूट विसुयल लॉस।

(4) एक्यूट एबडामिनल पेन।

(5) सभी प्रकार की दुर्घटनायें।

(6) हिमोरेज।

(7) एक्यूट प्वाइजनिंग।

(8) एक्यूट रीनल फेल्योर।

(9) एक्यूट ऑब्स्टेट्रिक ऐन्ड गाइनेकॉलाजिकल इमरजेन्सी।

(10) इलेक्ट्रिक शॉक।

(11) जीवन के लिए घातक कोई अन्य दशा।

परिशिष्ट – 'च'

[नियम 3(ट–1) देखिए]

असाध्य रोगों की सूची नीचे दी गयी है :–

(1) समस्त प्रकार के कैंसर।

(2) समस्त प्रकार के हृदय रोग।

(3) डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण सहित समस्त प्रकार के गुर्दा रोग।

(4) दीर्घकालीन यकृत रोग और यकृत प्रत्यारोपण।

(5) यकृत संरक्षा प्रक्रिया और तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक बचाव सर्जरी।

(6) अल्पकालिक अत्यन्त गंभीर यकृत रोग।

(7) घुटने और कूल्हे का बदलाव।

(8) प्रोस्टेट ग्लैण्ड सर्जरी।

(9) कार्निया प्रत्यारोपण।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-365/2016/ 3124/V-6-16-19G /16, dated. December, 27, 2016

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

MEDICAL, HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(MEDICAL SECTION-6)

NOTIFICATION

Miscellaneous

No.- 365/2016/3124/V-6-16-19G /16,

Dated Lucknow December, 27, 2016

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants (Medical Attendance) Rules, 2011:

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS (MEDICAL ATTENDANCE) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2016

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants (Medical Attendance) (Second Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 3

2. In the Uttar Pradesh Government Servants (Medical Attendance) Rules, 2011, hereinafter referred to as the said rules, in rule 3,-

(1) after existing clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:-

(c-1) "C.G.H.S." means the Central Government Health Scheme;

(c-2) "Contingent/Unforeseen Disease" means the diseases which are mentioned in Appendix 'E';

(2) for existing clause (i) set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 Existing clause	COLUMN 2 clause as hereby substituted
(i) (I) "Government Hospital" means a Hospital run either by State Government or Central Government or associated to any Government Medical College:	(i)(a) "Government Hospital" means a Hospital run either by State Government or Central Government or associated to any Government Medical College;
(ii) "Authorized Contracted Hospitals" means such hospitals which are contracted by the State Government to provide treatment at par with the rates of the CGHS (Centralised Government Hospital Services) ;	(b) "Authorized Contracted Hospitals" means those Private Hospitals which are notified by the State Government under C.G.H.S. Scheme;

(3) after existing clause (j), the following new clause shall be inserted, namely:-

(j-1) "Health Card" means the card issued by the State Government for confirmation of the identity of the beneficiary and which is different from the Health Letter ;

(4) after existing clause (k), the following new clause shall be inserted, namely:-

(k-1) "Incurable Disease" means the diseases mentioned in Appendix 'F';

Substitution of rule 6

3. In the said rules, for existing rule 6 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 Existing rule			COLUMN 2 Rule as hereby substituted		
Identity through health card	6.	(a) Free medical treatment shall be available to a beneficiary only when he/she produces the proof of his/her identity through a numbered health card issued under the signature and seal of the Head of Office on proforma given in Appendix-A. The photograph on the card shall be so stamped with official seal that it covers the photographs and the	Identification by Health Letter and Health Card	6.	(a) Free medical treatment shall be available in any Government Hospital or Government Medical College to a beneficiary only when he/she produces the proof of his/her identity through Health Card or a numbered Health Letter issued under the signature and seal of the Head of Office on proforma given in Appendix-'A'. The photograph on the Health Letter shall be so stamped with official seal that it covers the photograph and the letter partially :

card partially: Provided that for a pensioner the designation, place of posting, basic pay and pay scale shall relate to his/her last posting before his/her retirement/ death but the health card will be issued by the Head of the Office of his/her serving department located at the place from where he/she is drawing pension or residing. In future the Government may stepwise issue U.P. Health Service Identity Card (Smart Card) in place of Health Certificate. (b) Any missing particular, which is required in the card, will render it invalid. However, if some particular about some family member is missing, then only those members shall be ineligible and the card will be valid for rest of the beneficiaries.	Provided that for a pensioner the designation, place of posting, basic pay and pay scale shall relate to his / her last posting before his/her retirement/ death but the health letter will be issued by the Head of the Office of his/her serving department located at the place from where he/she is drawing pension or residing. (b) Any missing particular, which is required in the card, will render it invalid. However, if some particular about some family member is missing, then only those members shall be ineligible and the card will be valid for rest of the beneficiaries. (c) It shall be mandatory for the beneficiary to produce Health Card for availing medical treatment at C.G.H.S. rate of incurable diseases and free medical treatment for contingent/ unforeseen diseases in Authorized Contracted Hospitals.

Substitution of rule 10

4. In the said rules, for existing rule 10 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

	COLUMN 1 Existing rule		**COLUMN 2** Rule as hereby substituted
Treatment in SGPGI/ KGMU/ Government Medical Colleges	10. Beneficiary on payment may get treatment in Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences and Research (SGPGIMS), Lucknow, K.G.M.U., Lucknow and Government Medical College without reference. The	Medical Treatment in Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences/ King George	10. On availing treatment in Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Lucknow, Dr. Ram Manohar Lohia Medical Science Institute Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh Medical Science University, Saifai, Etawah, King George Medical University,

expenditure on medical attendance or treatment shall be wholly reimbursable on submission of claim in prescribed manner. In addition to above, the treatment can be obtained with reference against payment from the Authorised Contracted Hospitals. The expenses incurred on medical care or treatment under the prescribed rules will be fully reimbursable on submission of the claim.	Medical University/ Government Medical Colleges and C.G.H.S. Private Hospitals	Lucknow and such other similar Government financed Institutes, if the beneficiary agrees to bear five percent amount of the total amount of the bills duly signed / verified by the Medical Superintendents of the said Institutes, then in such situation the remaining ninety five percent amount of the aforesaid bills shall be paid by the State Government and such bills shall be exempted from being verified or countersigned by the Chief Medical Officer or any other authorised officer. If the beneficiary disagrees to bear the five percent amount of the bills, the Medical bills of the said Institutes shall be paid in accordance with the earlier policy only after the bills are verified and countersigned by the competent authorities of the Medical and Health Department. In addition to above, the treatment can be obtained with reference against payment from the Authorised Contracted Hospitals. The expenses incurred on medical care or treatment under the prescribed rules will be fully reimbursable on submission of the claim. Free medical treatment shall be made available for indoor patient at C.G.H.S. rate of incurable diseases and free medical treatment for contingent/ unforeseen diseases in Authorized Contracted Hospitals.

Substitution of rule 11

5. In the said rules, for existing rule 11 set out in column-I below, the rule as setout in column-2 shall be substituted, namely :-

	COLUMN 1 Existing rule		COLUMN 2 Rule as hereby substituted
Treatment in Urgency/ Emergency	11. A beneficiary is permitted to get treatment in a private hospital or Authorised Contracted Hospitals in urgent / emergent condition or on tour within State or outside. The cost of treatment shall be reimbursable at the rates of Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences and Research (SGPGIMS), Lucknow in case of treatment within the State or All India Institute of Medical Science, New Delhi in case of treatment outside the State and in case of treatment in Authorised Contracted Hospitals, the cost of treatment shall be reimbursable at the rates of C.G.H.S. provided: **(a)** The treating doctor certifies the urgency/ emergency. **(b)** The patient or his relative informs the Head of Office as soon as possible but not later than thirty days from the date of the commencement of treatment. **(c)** In case of emergency, the expenditure on air ambulance shall also be admissible for reimbursement.	Treatment in Urgency/ Emergency	11. A beneficiary is permitted to get treatment in a Private Hospital or Authorised Contracted Hospitals in urgent / emergent condition or on tour within State or outside. The treatment for indoor patient shall be free of cost in Private Hospitals listed under C.G.H.S. Scheme in emergency case. Apart from availing treatment in Authorized Contracted Hospitals, if the treatment is availed in other Private Hospitals in the State, the cost of treatment shall be reimbursable at the rate as prevailing in Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Lucknow and if the rates of treatment of the disease are not available in the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Lucknow the reimbursement shall be made at the rates prevailing in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. In case the treatment is availed in Private Hospitals out side the State other than Authorized Contracted Hospitals, the cost of treatment shall be reimbursable at the rate prevailing in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. In case of treatment in Authorised Contracted Hospitals, the cost of treatment shall be reimbursable at the rates of C.G.H.S. provided: **(a)** The treating doctor certifies the urgency/emergency. **(b)** The patient or his relative informs the Head of Office as soon as possible but not later than thirty days from the date of the commencement of treatment. **(c)** In case of emergency, the expenditure on air ambulance shall also be admissible for reimbursement.

Amendment of rule 15

6. In the said rules, in rule 15, for existing clauses (a) and (c) set out in column-1 below, the clauses as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

COLUMN 1 Existing clauses	**COLUMN 2** Clauses as hereby substituted
(a) The authority competent to sanction the reimbursement claim for treatment shall be competent to sanction the advance up to seventy five percent of the estimated amount.	(a) The authority competent to sanction the reimbursement claim for treatment shall be competent to sanction the advance up to ninety five percent of the estimated amount.
(c) The Head of the Office shall take necessary steps to ensure that the advance is sanctioned by the sanctioning authority at the earliest.	(c-1) The Head of the Office shall take necessary steps to ensure that the advance is sanctioned by the sanctioning authority at the earliest and in cases relating to the treatment of incurable or contingent or unforeseen diseases, ninety five percent of the estimate received on C.G.H.S. rates from Authorized Contracted Hospitals including hospitals situated in Delhi National Capital Region shall be sanctioned as medical advance within a week and be deposited in the Savings Account of the concerned employee or pensioner. (c-2) After the date of the completion of the treatment, the concerned employee shall compulsorily get the amount of his medical advance adjusted within three months. (c-3) The procedure to be followed for the adjustment of advance so sanctioned to the employees as well as pensioner shall be laid down separately by the Government through an executive order.

Amendment of Appendix-'A'

7. In the said rules, in Appendix-'A', in the heading, for existing words "HEALTH CARD", the words "HEALTH LETTER" shall be substituted.

Insertion of new Appendices

8. In the said rules, after existing Appendix 'D', the following new Appendices shall be inserted, namely :-

APPENDIX-'E'

[See Rule 3 (C-2)]

List of Contingent/Unforeseen Diseases are given below, but this is not complete because Contingent/Unforeseen depends on the condition of the patient :--

(1) Acute coronary syndrome (Coronary Artery by-pass graft/Percutaneous translumenes Coronary Angioplasty) myo cardial infarction, unstable Angina, Venticular, Arrhythmia, PAT, Cardiac Tenponod, Acute Left Ventculer Failure (ALVF), Severe Congestive Cardiac Failure (SCCF), Accelerated Hypertension, Complete Heart Block, Stokes Adam Attack, Acute Aortic Dissection.

(2) Acute Limb Ischemia, Repchur of Aneurysm Medical and Surgical Shock, Peripheral Circulatory Failure.

(3) Cerebra Vesicular Attack, Stroke, Sudden unconsciousness, Head Injury, Respiratory Failure, Decompensate Lung Disease, Cerebro-menigeal Infection, Confection, Convultion, Acute Paralysis, Acute Visual Loss.

(4) Acute Abdominal Pain.

(5) All types of Accidents.

(6) Haemorrhage.

(7) Acute Poisoning.

(8) Acute Renal Failure.

(9) Acute Obstetrics and Gynaecological Emergency.

(10) Electric Shock.

(11) Life Threatening Condition.

APPENDIX-'F'

[See Rule 3 (K-1)]

List of Incurable Diseases are given below :–

(1) All types of Cancer.

(2) All types of Heart Disease.

(3) All types of Kidney Disease with Dialysis and Kidney Transplantation.

(4) Chronic- Liver Disease and Liver Transplantation.

(5) Liver Protective Process and Necessary Salvage Surgery for Immediate Treatment.

(6) Short Term Acute Serious Liver Disease.

(7) Knee and Hip Replacement.

(8) Prostate Gland Surgery.

(9) Cornea Transplantation.

By order,

(Arun Kumar Sinha)
Additional Chief Secretary